2025:CGHC:44508–DB

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 898/2019

निर्णय सुरक्षित रखने का दिनाँक: 01.07.2025

निर्णय पारित करने का दिनाँक : 02.09.2025

1– शरद कुमार चौबे, पिता सनत चौबे, आयु लगभग 24 वर्ष, व्यवसाय– मजदूर, निवासी– ग्राम टेमरी, थाना व जिला– बेमेतरा, छत्तीसगढ़

अपीलार्थी

विरुद्ध

1– छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराः थाना प्रभारी, थाना बेमेतरा, जिला– बेमेतरा, छत्तीसगढ़

प्रत्यर्थी(गण)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी की ओर से : श्री राजकुमार पाली, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से : सुश्री नंद कुमारी कश्यप, पैनल अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे

माननीय न्यायमूर्ति श्री अमितेन्द्र किशोर प्रसाद

सीएवी निर्णय

द्वारा, रजनी दुबे, न्यायमूर्ति

1. वर्तमान अपील विद्वान विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, बेमेतरा, जिला बेमेतरा (छ.ग.) द्वारा विशेष प्रकरण (अत्याचार) क्रमांक 03/2018 में दिनांक 20.05.2019 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त निर्णय द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 366 व 376 सहपठित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (2) (v) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(ठ) सहपठित धारा 6 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है और क्रमशः 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100 रुपये अर्थदंड तथा आजीवन कारावास एवं 100 रुपये अर्थदंड व्यतिक्रम सशर्त दंडित किया गया है।

2. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में यह है कि दिनांक 03.12.2017 को अभियोक्त्री की माता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि अभियोक्त्री घर पर नहीं मिली। तत्पश्चात उसने गांव में उसकी तलाश की और जब उसने अभियुक्त के भाई से अभियोक्त्री के बारे में पूछताछ की, तो

उसे ज्ञात हुआ कि अभियुक्त भी घर पर नहीं था। अभियोक्त्री की माता द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर, पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया एवं तत्पश्चात अपीलार्थी व अभियोक्त्री की तलाश की गई, जिसके परिणामस्वरूप अभियोक्त्री अपीलार्थी के कब्जे में पाई गई। विवेचना के उपरांत, संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों तथा अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलार्थी को निर्णय के कण्डिका 1 में उल्लेखित अनुसार दोषसिद्ध किया।

3. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि और अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री के विपरीत है। अभियोजन साक्षियों के कथनों में महत्वपूर्ण लोप एवं विरोधाभाष हैं। अभियोजन ने अभियोक्त्री की जन्म तिथि के संबंध में कोई भी प्रामाणिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। अभियोक्त्री, उसकी माता और उसके भाई ने उसकी जन्म तिथि के बारे में अलग–अलग कथन किए हैं, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि घटना के समय अभियोक्त्री वयस्क थी। अभियोक्त्री सम्मति प्रदान करने वाली पक्षकार है, वह स्वयं स्वेच्छा से अपीलार्थी के साथ गई थी। उसने विभिन्न स्थानों की यात्रा की और लंबे समय तक पति–पत्नी के रूप में निवास भी किया। विद्वान विचारण न्यायालय अ.सा.–22 डॉ. अनामिका मिंज के साक्ष्य पर विचार करने में भी असफल रहा है, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि अभियोक्त्री संभोग की आदी है, हालिया संभोग के साक्ष्य नहीं मिले थे और उसके निजी अंगों में कोई चोट भी नहीं पाई गई थी, परंतु विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रकरण के उपरोक्त पहलुओं पर विचार नहीं किया और अपीलार्थी को त्रुटिपूर्ण रुप से दोषसिद्ध किया है। अतः, अपील स्वीकार किए जाने योग्य है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **बिराद मल सिंघवी विरुद्ध आनंद पुरोहित एआईआर 1988 एससी 1796** में प्रकाशित तथा **पी. युवाप्रकाश विरुद्ध राज्य, प्रतिनिधित्व द्वाराः पुलिस निरीक्षक एआईआर 2023 एससी 3525** में प्रकाशित प्रकरणों में पारित निर्णयों का अवलंब लिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. इसके विपरीत,राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और तर्क किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों का सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया है और अपीलार्थी को उचित रुप से दोषसिद्ध किया है। अतः, अपील खारिज किए जाने योग्य है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का परिशीलन किया गया।

6. विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख से यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 व 376, पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 सहपठित धारा 6 और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (2) (v) के अधीन आरोप विरचित किए थे। मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अधीन आरोप से दोषमुक्त कर दिया, तथा उसे निर्णय के कण्डिका 1 में उल्लेखित धाराओं के अधीन दोषसिद्ध एवं दंडित किया।

7. अभियोजन के अनुसार, घटना के समय अभियोक्त्री की आयु 18 वर्ष से कम थी। अभियोक्त्री (अ.सा.–1) ने कथन किया कि उसकी जन्म तिथि 09.06.2001 है। प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया कि उसने अपनी माता के कहने पर अपनी जन्म तिथि बताई है। अभियोक्त्री की माता (अ.सा.–2) ने कथन किया कि अभियोक्त्री की जन्म तिथि 26.09.2002 है। प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट और अपने पुलिस कथन में उसने अभियोक्त्री की जन्म तिथि 09.06.2000 बताई थी। अ.सा.–9 अरुण कुमार सोनी, प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला टेमरी ने कथन किया कि वह वर्ष 2014 से इस विद्यालय में पदस्थ थे और विद्यालय के दाखिल खारिज पंजी के अनुसार, अभियोक्त्री का नाम सरल क्रमांक 467 पर दर्ज है और इस पंजी के अनुसार अभियोक्त्री की जन्म तिथि 09.06.2000 है। उसे दिनाँक 17.06.2006 को कक्षा–1 में प्रवेश दिया गया था और उसने 30.06.2012 को विद्यालय छोड़ा था। पुलिस ने इस पंजी को जब्ती पत्रक (प्र.पी./16) के अनुसार जब्त किया था। प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया कि यह सत्य है कि अभियोक्त्री के विद्यालय में प्रवेश के समय वह उस विद्यालय में पदस्थ नहीं था। वह यह नहीं बता सकता कि उक्त प्रविष्टि किस आधार पर की गई थी। अभियोक्त्री (अ.सा.–1), उसकी माता (अ.सा.–2) और प्रधान पाठक (अ.सा.–9) के कथनों से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक साक्षी ने अभियोक्त्री की अलग–अलग जन्म तिथियां बताई हैं। प्रधान पाठक (अ.सा.–9) ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि अभियोक्त्री के विद्यालय में प्रवेश के समय वह पदस्थ नहीं था और वह इस प्रविष्टि का लेखक नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **अलमेलु व एक अन्य विरुद्ध राज्य, प्रतिनिधित्व द्वाराः पुलिस निरीक्षक (2011) 2 एससीसी 385** के प्रकरण में अपने निर्णय के कण्डिका 40 व 48 में निम्नानुसार अवधारित किया है:

> "40. निःसंदेह, स्थानांतरण प्रमाण पत्र (प्र.पी.–16) यह दर्शाता है कि बालिका की जन्म तिथि 15 जून, 1977 थी। अतः, उक्त प्रमाण पत्र के अनुसार भी, वह कथित घटना की तिथि अर्थात् 31 जुलाई, 1993 को 16 वर्ष से अधिक आयु (16 वर्ष 1 माह और 16 दिन) की रही होगी। स्थानांतरण प्रमाण पत्र शासकीय विद्यालय द्वारा जारी किया गया है और प्रधानाध्यापक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित है। इसलिए, यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अधीन साक्ष्य में स्वीकार्य होगा। यद्यपि, उस सामग्री के अभाव में जिसके आधार पर आयु दर्ज की गई थी, ऐसे दस्तावेज़ की स्वीकार्यता बालिका की आयु साबित करने के लिए अधिक साक्ष्यिक मूल्य की नहीं होगी।"
>
> "48. हम आगे यह भी संज्ञान ले सकते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के संदर्भ में भी, किसी सार्वजनिक दस्तावेज़ का परीक्षण सिविल के साथ–साथ दाण्डिक कार्यवाहियों में भी समान मानक लागू करके किया जाना

चाहिए। इस संदर्भ में, इस न्यायालय द्वारा रविंदर सिंह गोरखी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य के प्रकरण में की गई टिप्पणियों को उद्धृत करना उचित होगा, जो निम्नानुसार हैं:–

"विद्यालय पंजी में दर्ज या अन्यथा किसी व्यक्ति की आयु का उपयोग विभिन्न प्रयोजनार्थ किया जा सकता है, जैसे– प्रवेश प्राप्त करने के लिए; नियुक्ति प्राप्त करने के लिए; चुनाव लड़ने के लिए; विवाह के पंजीकरण के लिए; सीलिंग कानूनों के अधीन एक अलग इकाई प्राप्त करने के लिए; और यहाँ तक कि किसी दीवानी मंच के समक्ष मुकदमेबाजी के उद्देश्य के लिए, जैसे– न्यायालय में संरक्षक के माध्यम से प्रतिनिधित्व की आवश्यकता या जहाँ इस आधार पर वाद दायर किया गया हो कि वादी के अवयस्क होने के कारण उसका उचित प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था या उसकी ओर से किया गया कोई भी संव्यवहार शून्य था क्योंकि वह अवयस्क था। साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के प्रावधानों को विचार में रखते हुए, वाद के किसी पक्षकार की आयु अवधारित करने के प्रयोजन से विधि की न्यायालय को वही मानक लागू करना होगा। किसी अभियुक्त के प्रकरण में, जैसे कि अपहरण या बलात्संग, या इसी प्रकार के अपराध जहाँ अभियोक्त्री या अभियोक्त्री ने भले ही अभियुक्त को सम्मति दी हो, कोई अलग मानक लागू नहीं किया जा सकता है। यदि स्कूल द्वारा संधारित पंजी में की गई प्रविष्टियों के आधार पर दोषसिद्धि का निर्णय अभिलिखित किया जाता है, तो अभियुक्त को संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन उसके संवैधानिक अधिकार से वंचित किया जाएगा, क्योंकि उस स्थिति में अभियुक्त को अन्यायपूर्ण रुप से दोषसिद्ध किया जा सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **पी. युवाप्रकाश** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में पारित निर्णय के कण्डिका 18 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:

"**18.** इस प्रकरण के तथ्यों पर लौटते हुए, 'एम' (अभियोक्त्री) के शाला के प्रधानाध्यापक (न्यायालय साक्षी–1) को न्यायालय द्वारा समन किया गया था और उन्होंने स्थानांतरण प्रमाण पत्र (प्र.सी.–1) प्रस्तुत किया। इस साक्षी ने 'एम' के नाम वाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र पंजी प्रस्तुत किया। उन्होंने न्यायालयिक साक्ष्य दिया कि उसने एक वर्ष, अर्थात् 2009–10 तक विद्यालय में अध्ययन किया थी और उसकी जन्म तिथि उस विद्यालय द्वारा दी गई अभिलेख पत्र पर आधारित थी जहाँ उसने 7 वीं कक्षा में पढ़ाई की थी।

चिन्नसोलिपलयम पंचायत शाला की प्रधानाध्यापिका (ब.सा.–2) श्रीमती पूंगोथोई ने न्यायालय द्वारा तामिल[2012] 9 एससआर 224 समन का उत्तर दिया और न्यायालयिक साक्ष्य दिया कि 'एम' दिनाँक 03.04.2002 से उनके विद्यालय में शामिल हुई थी और उसकी जन्म तिथि 11.07.1997 दर्ज की गई थी। उन्होंने स्वीकार किया कि यद्यपि जन्म तिथि जन्म प्रमाण पत्र पर आधारित थी, किंतु सामान्यतः इसे जन्म–कुण्डली के आधार पर दर्ज किया जाता है। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें उस आधार के बारे में कोई जानकारी नहीं है जिसके आधार पर जन्म तिथि से संबंधित दस्तावेज दर्ज किया गया था। इसी विवाद्यक, अर्थात् जन्म तिथि पर पहले यह कहा गया है कि थिरु प्रकाशम (ब.सा.–3) ने कथन किया कि उनके कार्यालय के अभिलेखागार में वर्ष 1997 से संबंधित जन्म पंजी उपलब्ध नहीं था।"

10. उपरोक्त के आलोक में, यह स्पष्ट है कि अभियोजन घटना के समय अभियोक्त्री की आयु 18 वर्ष से कम साबित करने में असफल रहा है, अतः हम घटना के समय अभियोक्त्री की आयु 18 वर्ष से कम होने के संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को अपास्त करते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. अब हमें इस तथ्य पर विचार करना है कि क्या अभियुक्त ने अभियोक्त्री का अपहरण किया और उसकी सम्मति के बिना उसके साथ लैंगिक संभोग किया।

12. अभियोक्त्री (अ.सा.– 1) ने कथन किया कि दिनांक 02.12.2017 को वह अभियुक्त के साथ भाग गई थी और 6 माह तक पुना में रही। उसने स्वीकार किया कि वह स्वयं अभियुक्त के साथ पुना गई थी। वह अभियुक्त से प्रेम करती थी, इसलिए वह उसके साथ गई। उसने यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्त ने स्वयं उसे पुना जाने के लिए नहीं कहा था, बल्कि उसने ही उसे कहा था कि उसे कहीं और ले चले जहाँ वे विवाह कर सकें और साथ रह सकें। अभियोजन ने उसे पक्षद्रोही घोषित किया और उससे प्रतिपरीक्षण किया, तब उसने अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया कि अभियुक्त ने उसे प्रेम पत्र लिखा था और उसने भी उसे उत्तर दिया था। उसने अभियोजन के इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि अभियुक्त उसे मोटरसाइकिल पर अपने मित्र के घर ले गया, उसके बाद वे ट्रेन से पुना गए और उसने बचाव पक्ष के इस सुझाव को पुनः स्वीकार किया कि उसने स्वयं कहा था कि यह सत्य है कि अभियुक्त उसे बलपूर्वक पुना नहीं ले गया था। वह स्वेच्छा अभियुक्त के साथ गई थी। उसने उसे विवाह का प्रलोभन भी नहीं दिया था और न ही ऐसा करने की प्रयत्न किया और न ही कभी उसके साथ जबरदस्ती की। उसने यह भी कथन किया कि यह सत्य है कि अभियुक्त ने उसकी जाति चूँकि वह सतनामी जाति से है के आधार पर उसका कभी अपमान नहीं किया।

13. अ.सा.–2, जो कि अभियोक्त्री की माता है, ने कथन किया कि उसकी पुत्री कहीं चली गई थी और तत्पश्चात इस संदेह के आधार पर कि अभियुक्त उसकी पुत्री को भगा ले गया होगा, उसने संबंधित थाना में प्रदर्श पी/5 द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने यह भी स्वीकार किया कि इससे पूर्व, वर्ष 2016 में भी अभियुक्त अभियोक्त्री को पुना ले गया था और उसे वहां 15 दिनों तक रखा था। प्रतिपरीक्षण में, उसने स्वीकार किया कि उसने दिनांक 02.12.2017 को अभियोक्त्री को जाते हुए नहीं देखा था और वह किसके साथ भाग गई थी तथा कहाँ रही, यह भी उसे नहीं पता और वह कब वापस आई, इसकी भी उसे जानकारी नहीं है।

14. अ.सा.–3 कमल बांधे, अ.सा.–4 संजय कोसले, अ.सा.–5 सुखनंदन, अ.सा.–6 किरण कोसले ने कथन किया कि उन्हें ग्रामीणों द्वारा ज्ञात हुआ कि अभियोक्त्री अभियुक्त के साथ भाग गई थी, जिसके बाद उन्होंने उसकी तलाश की। उन्होंने यह भी कथन किया कि उन्होंने अभियुक्त को अभियोक्त्री को ले जाते हुए नहीं देखा था।

15. अ.सा.–7 रवि दांडेकर ने कथन किया कि सुनील रात्रे उसका पड़ोसी है और जब पुलिसकर्मी आए और उससे सुनील रात्रे का घर पूछा, तब उसने उन्हें बताया, तत्पश्चात अभियोक्त्री को अभियुक्त के साथ उसके घर के चबूतरे से बरामद किया गया और बरामदगी मेमो (प्र.पी./1) तैयार किया गया। उसने उक्त दस्तावेज़ के 'बी से बी' भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. सुनील रात्रे (अ.सा.–8) ने कथन किया कि उसके घर के बाहर एक युवती और एक युवक आए थे, जिसके बाद पुलिस वहाँ आई और उन्हें ले गई। अभियोजन ने उसे पक्षद्रोही घोषित किया और उससे प्रतिपरीक्षण किया, तब उसने इस सुझाव को स्वीकार किया कि यह सत्य है कि पुलिस ने अभियोक्त्री और अभियुक्त के उसके घर आने के संबंध में थाना तिल्दा में सूचना दी थी। उसने इस सुझाव से इनकार किया कि वह अभियोक्त्री को जानता है।

17. अ.सा.–13 पंचराम बारले ने कथन किया कि पुलिसकर्मी उसके घर आए थे और उसके बाद वह पुलिस के साथ ग्राम तुलसी, तिल्दा नेवरा गया, जहाँ एक घर से उन्होंने अभियुक्त के साथ अभियोक्त्री को बरामद किया, तत्पश्चात बरामदगी मेमो (प्र.पी./1) तैयार किया गया और उसने उक्त दस्तावेज़ के 'सी से सी' भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया।

18. साक्षियों के कथनों, विशेष रूप से अभियोक्त्री के कथन के सूक्ष्मतापूर्वक परीक्षण करने से स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि वह सम्मति प्रदान करने वाली पक्षकार है और उसने स्वयं स्वीकार किया है कि अभियुक्त के साथ उसका प्रेम संबंध था और वह स्वेच्छा से अभियुक्त के साथ गई थी। हम पाते हैं कि अभियोजन घटना के समय अभियोक्त्री की आयु 18 वर्ष से कम साबित करने में असफल रहा है और अभियोक्त्री ने यह स्वीकार किया है कि वह स्वेच्छा से अभियुक्त के साथ गई थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्त ने उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया और वह सम्मति प्रदान करने वाली पक्षकार है, अतः अभियोजन इस तथ्य को साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री

का बलपूर्वक अपहरण किया और उसके साथ लैंगिक संभोग किया। इस प्रकार, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष संधारणीय नहीं है।

19. फलस्वरुप,यह अपील स्वीकार की जाती है। दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 366 व 376 सहपठित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (2) (v) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(ठ) सहपठित धारा 6 के अधीन आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

20. सूचित किया गया है कि अपीलार्थी जमानत पर है।

21. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,2023 की धारा 481 के प्रावधानों को विचार में रखते हुए, अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह संबंधित न्यायालय के समक्ष तत्काल 25,000/– रुपये का व्यतिगत बंधपत्र प्रस्तुत करे, जो छह माह की अवधि तक प्रभावशील रहेगा साथ ही उसे यह वचनबद्धता भी होगी कि वर्तमान निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत होने या अनुमति प्रदान किए जाने की स्थिति में, सूचना प्राप्त होने पर उक्त अपीलार्थी माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

22. इस निर्णय की प्रतिलिपि सहित विचारण न्यायालय का अभिलेख संबंधित विचारण न्यायालय को अनुपालन और आवश्यक कार्रवाई हेतु अविलंब प्रतिप्रेषित किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
(रजनी दुबे)
न्यायाधीश

सही/–
(अमितेन्द्र किशोर प्रसाद)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**